

(असाधारण भाग I-खंड -1)

अधिसूचना

सरकारी प्रतिभूतियों (जीएस) की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(3)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2022:भारत सरकार एतद्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है:

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ में)
4.56% सरकारी प्रतिभूति, 2023	29 नवम्बर, 2021	02-00-00	29 नवम्बर, 2023	मूल्य	समान	4,000
नई सरकारी प्रतिभूति, 2029	18 अप्रैल, 2022	07-00-00	18 अप्रैल, 2029	लाभ	समान	7,000
6.54% सरकारी प्रतिभूति, 2032	17 जनवरी, 2022	10-00-00	17 जनवरी, 2032	मूल्य	समान	13,000
6.95% सरकारी प्रतिभूति, 2061	22 नवम्बर, 2021	40-00-24	16 दिसम्बर, 2061	मूल्य	विविध	9,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूतियों में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से बेची जाएंगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आवंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियां पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 13 अप्रैल, 2022, को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 13 अप्रैल, 2022, को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. ये प्रतिभूतियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होंगी।

निर्गम की तारीख और प्रतिभूतियों के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 13 अप्रैल, 2022 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 18 अप्रैल, 2022 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
4.56% सरकारी प्रतिभूति, 2023	4.56	नई प्रतिभूति	17 अप्रैल, 2022	29 मई और 29 नवम्बर
नई सरकारी प्रतिभूति, 2029	लाभ आधारित*	नई प्रतिभूति	नई प्रतिभूति	18 अक्टूबर और 18 अप्रैल
6.54% सरकारी प्रतिभूति, 2032	6.54	नई प्रतिभूति	17 अप्रैल, 2022	17 जुलाई और 17 जनवरी
6.95% सरकारी प्रतिभूति, 2061	6.95	16 दिसम्बर, 2021	17 अप्रैल, 2022	16 जून और 16 दिसम्बर

*:प्रतिभूति के लिए कूपन दर का निर्णय नीलामी में निर्धारित 'परिपक्वता दर की कट ऑफ- लाभ' पर किया जाएगा। ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

आशीष वच्छानी

(आशीष वच्छानी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार